UPMZ010021982023

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर।

उपस्थितः बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

सेशन वाद संख्या 384 सन् 2023

उत्तर प्रदेश राज्य -अभियोजन पक्ष

बनाम

1- अजय स्वरूप बंसल पुत्र स्व0 विष्णु स्वरूप बंसल निवासी 196 सिविल लाईन नोर्थ थाना सिविल लाईन जिला मुजफ्फरनगर,

2- आशुतोष बंसल पुत्र स्व0 विष्णु स्वरूप बंसल निवासी 196 सिविल लाईन नोर्थ थाना सिविल लाईन जिला मुजफ्फरनगर (मृतक)

-अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या- 375 सन् 2019
धारा- 306/34 भारतीय दंड संहिता
थाना- नई मण्डी,
जिला- मुजफ्फरनगर

निर्णय

पुलिस थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट एवं विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर के कमिटल आदेश दिनांकित 21.02.2023 के

दिनांक- 02.07.2026 **(बीरेन्द्र कुमार सिंह)**
सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर
आई.डी. यू.पी.-5746

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.02 17:24:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आधार पर अभियुक्तगण अजय स्वरूप एवं आशूतोष स्वरप बंसल का विचारण धारा 306 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के आरोपों के लिये किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक का सारांश इस प्रकार से है कि दिनांक 10.07.2019 को समय 20.31 बजे वादी चमन सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी रामलील टिल्ला थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर ने थाना नई मण्डी में एक टाईपशुदा मूल तहरीर प्रदर्श क-1 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी के बड़े भाई राजेश कुमार ने एक दुकान जो कि सदर बाजार में स्थित है पगड़ी (किराये) पर लेने के लिये अजय स्वरूप बंसल व आशुतोष स्वरूप बंसल को तय शुदा रकम 6,55,000/- रूपये में से दिनांक 11.01.2019 को 3,00,000/- रूपये व दिनांक 18.02.2019 को 3,55,000/- रूपये दिये थे। उन लोगों ने न तो वादी के भाई को उक्त दुकान का कब्जा दिया और न रूपये वापस दिये तथा उक्त दुकान की चाबी मांगने पर उन्होंने वादी के भाई का मानसिक रूप से शोषण करते करते चले आ रहे थे तथा उसे तरह तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। एक बार वादी के भाई ने घर आकर बताया भी था कि उक्त लोग वादी की भाभी व बच्चों को भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

यह भी कहा गया है कि दिनांक 10.07.2019 को सुबह 08.30 बजे वादी का भाई घर से निकला था तथा समय करीब 10.15 बजे वादी के भाई ने नई मण्डी थाने के पास रेलवे क्रासिंग पर रेल के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली तथा वादी के भाई के पास से सुसाईड नोट भी बरामद हुआ जिसमें वादी के भाई ने अजय स्वरूप बंसल व आशुतोष स्वरूप बंसल पुत्रगण स्व0 विष्णु स्वरूप बंसल प्रतिष्ठान शाहजी ज्वैलर्स, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर के द्वारा मानसिक उत्पीड़न किये जाने के कारण आत्महत्या का कारण बताया। वादी के भाई ने

अजय स्वरूप बंसल व आशुतोष स्वरूप बंसल के उत्पीड़न के कारण ही आत्महत्या की है। इस प्रकार उक्त आधारों पर वादी की रिपोर्ट दर्ज कर अजय स्वरूप बंसल व आशुतोष स्वरूप बंसल पुत्रगण स्व0 विष्णु स्वरूप बंसल, प्रतिष्ठान शाहजी ज्वैलर्स, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी।

3. उक्त मूल तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर दिनांक 10.07.2019 समय 20.31 बजे अजय स्वरूप बंसल एवं आशुतोष स्वरूप बंसल के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 375 सन् 2019 धारा 306 भा.दं.संहिता पंजीकृत कर चिक प्रदर्श क-8 किता किया गया जिसमें घटनास्थल रेलवे क्रासिंग से थाने की दूरी 1.5 कि.मी. दक्षिण होना अंकित किया गया है और इसकी कायमी जी.डी. संख्या 52 प्रदर्श क-9 किता की गयी।

3(क)- इसी प्रकार इस घटना की सूचना प्वाईंट मेन ट्रेन डी.एन.18478 एक्सप्रेस के द्वारा थाने आकर सूचना प्रदर्श क-12 इस आशय की दी गयी थी कि वह आज 10.07.2019 को शौच के लिये वसुंधरा कालोनी के पीछे गया था जहाँ पर एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु हो गयी है और उसकी जेब से एक डी.एल. राजेश कुमार पुत्र प्रताप सिंह निवासी रामलीला टिल्ला थाना नई मण्डी मुजफ्फरनगर मिली जिसके आधार पर जी.डी. सं. 37 समय 13.32 प्रदर्श क-10 किता की गयी।

4. इसी क्रम में मृतक का पंचनामा प्रदर्श क-9 दिनांक 10.07.2019 समय 15.20 बजे समक्ष गवाहान नवीन कुमार, राहुल एवं राजू की उपस्थिति में मौके पर शाम 15.20 बजे तक तैयार किया गया, जिसमें मृतक राजेश कुमार के शरीर में ट्रेन से टकरा जाने से दाहिने हाथ की हथेली कटा होना, माथे पर खून आलूदा

चोट व सिर पर चोट खून आलूदा व शरीर पर खुरसैट के निशान पाया जाना अंकित किया गया और पंचो की राय के अनुसार मृतक की मृत्यु, ट्रेन से टक्कर लगने के कारण के कारण हुई थी, किन्तु मृत्यु का सही कारण जानने के लिये रिपोर्ट सी.एम.ओ. प्रदर्श क-14, पत्र प्रतिसार निरीक्षक प्रदर्श क-15, पुलिस प्रपत्र संख्या 13 प्रदर्श क-16, फोटो नमूना लाश प्रदर्श क-13 तैयार कर लाश को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया।

5. मृतक का पोस्टमार्टम संख्या 419/19 दिनांक 10.07.2019 को जिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर में समय 05.15 पी.एम. बजे तैयार किया गया। मृतक मध्यम, औसत कद काठी का था। मृतक के शरीर पर मृत्यु पश्चात अकड़न शरीर के ऊपरी हिस्से पर मौजूद थी। मृतक के नेत्र आधे खुले और पेल थे।

वाह्य–मृत्यु पूर्व आई चोटों का विवरण

चोट नं–1 खोपड़ी पर 29cm x 13cm आकार का कुचला हुआ और फटा हुआ घाव है, जो नाक की जड़ से 2cm ऊपर है; खोपड़ी की सभी हड्डियाँ टूटी हुई हैं और दिमाग मौजूद नहीं है।

चोट नं.–2 चेहरे और ठुड्डी के दाहिने हिस्से पर 10cm x 5cm आकार का कटा–फटा घाव है, जिसमें नीचे की हड्डी टूटी हुई है और मुँह के अंदर तक गहरा घाव है।

चोट नं–3 दाहिने कंधे पर, दाहिनी कोहनी से 10 cm ऊपर, 20 x 14 cm आकार का रगड़ का निशान मौजूद है।

चोट नं.–4 दाहिने अग्रबाहु (forearm) का मध्य भाग कटा हुआ है; आर–पार कटने के कारण दाहिना हाथ अलग हो गया है।

चोट नं.–5 छाती के दोनों तरफ, नीचे की ओर 20x14 cm आकार के कई खरोंच के निशान मौजूद हैं।

आन्तरिक परीक्षण– Scalp फटा हुआ, झिल्लीयाँ फटी हुई, मस्तिष्क खाली, नाक की हड्डी टूटी हुई, दोनों तरफ की पसलियां दूसरी से छठी टूटी हुई मिली। छोटी आंत व बड़ी आंत में फीकल मैटर मौजूद था। मूत्र की थैली खाली थी।

मृत्यु का कारण– चिकित्सक की राय में मृतक की मृत्यु, मृत्यु पूर्व आई चोटों के कारण हुये अत्यधिक रक्त स्राव व शौक के कारण होना संभव है।

मृत्यु का सम्भावित समय– चिकित्सक की राय में मृतक की मृत्यु, पोस्टमार्टम करने से पहले 1/3 दिन(दिन का तिहाई हिस्सा) पूर्व हुई होगी। शव विच्छेदन के समय मृतक के शरीर पर/शव पर एक शर्ट, एक बनियान, एक बेल्ट, एक पैन्ट, एक अंडयवियर, एक जोड़ी चप्पल मौजूद थे। शव विच्छेदन के पश्चात सभी सामान को शव के साथ आये पुलिस कर्मचारीगण को सील बन्द बन्डल में लपेटकर सौंप दिया था। मूल शव विच्छेदन रिपोर्ट सं0–419/19 जो पत्रावली पर कागज सं0– 12क/9 है को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित कराया गया है।

6. मृतक के पोस्टमार्टम होने के पश्चात् दिनांक 15.07.2019 को गवाहान संजय लोधी व चमन सिंह की उपस्थिति में मृतक की एक डायरी के पृष्ठों प्रदर्श क-17 एवं दिनांक 17.07.2019 को गवाह नवीन कुमार व राजू की उपस्थिति में रसीद शाहजी विष्णु ज्वैलर्स तीन लाख रूपये दिनांकित 11.01.2019 प्राप्त कर फर्द प्रदर्श क-18 तैयार की गयी और विष्णु स्वरूप ज्वैलर्स की पर्ची प्रदर्श क-19 संलग्न की गयी।

दिनांक- 02.07.2026

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर
आई.डी. यू.पी.-5746

6(क) दौरान विवेचना घटना स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क-20 तैयार किया गया जिसमें अक्षर "एक्स" से वह स्थान दर्शाया गया है, जहां मृतक की ट्रेन से कटकर मृत्यु होना बताया गया है।

6(ख)– बाद विवेचना मामले में वादी के भाई मृतक राजेश द्वारा स्वयं आत्महत्या करना पाया गया और यह भी पाया गया कि नामित अभियुक्तगण द्वारा मृतक राजेश को किसी तरह प्रताड़ित नहीं किया गया है, मामले में अंतिम रिपोर्ट सं. 173/19 दिनांकित 19.12.2019 प्रदर्श ख–1 प्रेषित की गयी।

7. उक्त अंतिम रिपोर्ट प्रदर्श ख-1 के विरूद्ध वादी मुकदमा द्वारा विद्वान अवर न्यायालय में प्रोटेस्ट पीटिशन याचिका दायर की गयी और विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनने के उपरांत आदेश दिनांकित 21.01.2021 पारित करते हुए वादी की प्रोटेस्ट पीटिशन याचिका स्वीकार करते हुए मामले में अन्तिम आख्या 173/2019 प्रदर्श ख-1 को निरस्त किया और अग्रिम विवेचना कराये जाने का आदेश पारित किया गया।

7(क)- जिसके अनुक्रम में प्रकरण में अग्रिम विवेचना पर्चा 25 दिनांकित 24.02.2021 से शुरू की गयी और वादी द्वारा प्रस्तुत सुसाईड नोट की छायाप्रति दिनांक 06.07.2021 को प्राप्त की गयी है और दिनांक 10.07.2021 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजी गयी सुसाईड नोट छायाप्रति प्रदर्श क-6 मय लिफाफा प्रदर्श क-5 व तीन डायरी प्रदर्श क-4, प्रयोगशाला द्वारा आपत्ति के साथ वापस प्राप्त की गयी और पुनः दिनांक 26.07.2021 को एतराज दूर करके विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट हेतु पुनः प्रपत्र भेजे गये। इसी प्रकार दिनांक 27.07.2021 को मृतक के बैंक संबंधी कागजात प्रदर्श क-3 एवं दिनांक 24.08.2021 को मृतक के बैंक खाता एवं उससे संबंधित मोबाईल नंबर प्राप्त

करके जाँच हेतु रिपोर्ट प्रदर्श क-3 दाखिल की गयी तथा एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श क-21 प्राप्त होने के उपरांत मामले में परिक्षित अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र 385/21 दिनांकित 30.10.2021 प्रदर्श क-7 अंतर्गत धारा 306 भा.दं.संहिता के तहत विचारण हेतु प्रेषित किया गया। जिस पर विद्वान अवरर न्यायालय द्वारा दिनांक 02.04.2022 को प्रसंज्ञान लेने के उपरांत यह पत्रावली कमीट की गयी है।

8. परीक्षित अभियुक्तगण अजय स्वरूप बंसल और आशुतोष स्वरूप बंसल की उपस्थिति में उनके विरूद्ध दिनांक 09.06.2023 को धारा 306 सपठित धारा 34 के तहत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने दोषी के अभिवचन नहीं किये और विचारण की माँग की।

8(क)- विचारण के दौरान अभियुक्त सं. 02 आशुतोष स्वरूप बंसल पुत्र स्व0 विष्णु स्वरूप बंसल की मृत्यु दिनांक 09.10.2023 को हो जाने के कारण उ.नि. रणपाल सीडब्लयू 01 का बयान अंकित किया गया और मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श ख-2 के आधार पर दिनांक 26.09.2024 के आदेश द्वारा अभियुक्त आशुतोष स्वरूप बंसल पुत्र स्व0 विष्णु स्वरूप बंसल के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित घोषित की गयी। इस प्रकार अब प्रस्तुत मामले में केवल अभियुक्त अजय स्वरूप बंसल का ही विचारण किया गया है।

9. अभियोजन की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है:-

साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	विवरण
पीडब्लू-1	चमन सिंह	वादी मुकदमा मृतक का भाई

पीडब्लू-2	श्रीमती कमलेश	तथ्य के गवाह मृतक एवं वादी की माता
पीडब्लू-3	श्रीमती रूबी	तथ्य के गवाह मृतक की पत्नी
पीडब्लू-4	डॉ0 मौ0 आसिफ	मृतक का पोस्टमार्टम करने वाला चिकित्सक
पीडब्लू-5	एस.आई. मुकेश कुमार	विवेचक

10. अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण द्वारा जो प्रपत्र प्रदर्श के रूप में साबित किये गये हैं, उनकी सूची निम्नानुसार हैः-

क्रं.सं.	**प्रदर्श**	**दस्तावेज/माल मुकदमाती का नाम**	**साक्षी का नाम व संख्या जिसके द्वारा साबित किया गया**
1.	**प्रदर्श क-1**	टाईपशुदा तहरीर	चमन सिंह पीडब्लू-1
2.	**प्रदर्श क-2**	मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट	डॉ0 मौ0 आसिफ पीडब्लू-4
3.	**प्रदर्श क-3** **प्रदर्श क-4** **प्रदर्श क-5** **प्रदर्श क-6** **प्रदर्श क-7** **प्रदर्श ख-1**	बैंक के मूल प्रपत्र संलग्न डायरी की प्रमाणित छायाप्रतियाँ लिफाफा डायरी वर्ष 2010 की छायाप्रति आरोप पत्र अंतिम रिपोर्ट	एस.आई. मुकेश कुमार पीडब्लू-5

दिनांक- 02.07.2026

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर
आई.डी. यू.पी.-5746

11. बचाव पक्ष की ओर से अन्य अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः-

क्रं.सं.	**प्रदर्श**	**दस्तावेज/माल मुकदमाती का नाम**	**साक्षी का नाम व संख्या जिसके द्वारा साबित किया गया**
4.	**प्रदर्श क-8**	चिक	औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी
5.	**प्रदर्श क-9**	जी.डी. कायमी	औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी
6.	**प्रदर्श क-10**	जी.डी. सं. 37	औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी
7.	**प्रदर्श क-11**	पंचनामा	औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी
8.	**प्रदर्श क-12**	तहरीर सोनी	औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी
9.	**प्रदर्श क-13**	फोटो नमूना लाश	औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी
10.	**प्रदर्श क-14**	रिपोर्ट सी.एम.ओ.	औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी
11.	**प्रदर्श क-15**	रिपोर्ट प्रतिसार निरीक्षक	औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी
12.	**प्रदर्श क-16**	पुलिस प्रपत्र सं. 13	औपचारिक सत्यता

दिनांक- 02.07.2026

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर
आई.डी. यू.पी.-5746

			स्वीकार की गयी
13.	**प्रदर्श क-17**	फर्द डायरी दिनांकित 15.07.2019	औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी
14.	**प्रदर्श क-18**	फर्द रसीद	औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी
15.	**प्रदर्श क-19**	रसीद	औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी
16.	**प्रदर्श क-20**	नक्शा नजरी	औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी
17.	**प्रदर्श क-21**	एफ.एस.एल. रिपोर्ट	

इस प्रकार चूंकि बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन के अन्य प्रपत्रों उपरोक्त की औपचारिक सत्यता को स्वीकार कर ली गयी है, जिसके आधार पर अभियोजन ने अपना साक्ष्य समाप्त किया है।

12. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के उपरांत दिनांक 02.06.20235 को अभियुक्त अजय स्वरूप बंसल का धारा 313 का बयान अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त अजय स्वरूप बंसल ने अभियोजन कथानक को झूठ होना बताते हुए, गलत व असत्य तथ्यों पर रिपोर्ट दर्ज कराये जाने और अभियुक्त का कोई संव्यवहार कथित राजेश कुमार के साथ नहीं होने और उसने न जानने का कथन किया है। यह भी कहा है कि गलत रिपोर्ट समय विरूद्ध अंकित करायी गयी है। इसी प्रकार अभियुक्त ने प्रदर्श क-10 और प्रदर्श क-11 के संबंध में "मुझे जानकारी नहीं" का कथन किया और प्रदर्श क-9, प्रदर्श क-12 ता 15 व प्रदर्श क- 2 के संबंध में "पता नहीं" का कथन किया है। यह भी कहा है कि रिपोर्ट

गलत साबित की है, अभियुक्त के विरूद्ध बयान नहीं दिया है। इसके अलावा विवेचना को गलत व फर्जी बताते हुए, गलत आरोप पत्र गलत विवेचना के आधार पर दिया जाना कहा है। यह भी कहा है कि मात्र बाह्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गलत मुकदमा बनाया गया है। अंत में कोई प्रलेख, एग्रीमेन्ट दुकान की बाबत नहीं होना कहा है और कोई पैसो का लेनदेन नहीं होने, मामला न साबित होने और किसी प्रकार का कोई साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध नहीं होना बताया है। बचाव में कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

13. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक की ओर से कहा गया है कि अभियुक्तगण प्राथमिकी में नामित हैं तथा उनके द्वारा वादी मुकदमा के भाई राजेश कुमार से दुकान की पगड़ी के रूप में 6,55,000/- रूपये प्राप्त करने के उपरांत भी दुकान का कब्जा नहीं दिया गया और कहने पर अभियुक्तगण ने मृतक को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए आत्महत्या के लिये उकसाया था। यह भी कहा गया है कि विवेचनोपरांत उनके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। अतः अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों के तहत दोषसिद्ध किया जाये।

जबकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है। उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के किसी भी साक्षी ने अभियोजन कथानक का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है। महत्वपूर्ण साक्षी वादी मुकदमा चमन सिंह जिसके भाई द्वारा आत्महत्या करना कहा गया है, ने न्यायालय में दिये गये अपने शपथ पूर्वक बयान में अभियुक्त द्वारा मृतक को मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करने का

कथन किया है। इस साक्षी ने अभियुक्तगण हाजिर अदालत अजय स्वरूप बंसल और आशुतोष स्वरूप बंसल के बारे में यह कथन किया है कि मृतक द्वारा मुल्जिमान से तंग व परेशान होकर आत्महत्या नहीं की गयी है। कथित सुसाईड नोट के बारे में भी इस साक्षी ने कहा है कि कोई सुसाईड नोट नहीं मिला था। इसी साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह भी कहा है कि मृतक की मुल्जिमान से दुकान खरीदने के संबंध में कोई बातचीत नहीं चल रही थी और न ही कोई एग्रीमेंट आदि हुआ था और न ही मृतक ने मुल्जिमान को कोई पैसे दे रखे थे। इसी प्रकार बचाव पक्ष की ओर से यह भी कहा गया है तथ्य के किसी भी साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण उन्हें पक्षद्रोही घोषित करके उनसे जिरह की गयी तो उनकी जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे अभियुक्तगण को दोषसिद्व किया जा सके। उपरोक्त तर्को के आधार पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से किसी भी प्रकार से अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं होते हैं। अतः अभियुक्तगण को उनके विरूद्व लगाये गये आरोपों से सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने की याचना की गयी।

14. मैंने विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री ठा0 दुष्यंत सिंह एडवोकेट की बहस को सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

15. निर्विवाद रूप से यह घटना दिनांक 10.07.2019 को समय दिन के 10.15 बजे स्थान रेलवे क्रासिंग, थानांतर्गत नई मण्डी, जनपद मुजफफरनगर की कही गयी है तथा अभियोजन के अनुसार अभियुक्तगण अजय स्वरूप बंसल और आशुतोष स्वरूप बंसल से मृतक राजेश कुमार ने एक दुकान सदर बाजार में

पगड़ी(किराये) पर अंकन 6,55,000/- रूपये में तय की और दिनांक 11.01.2019 को तीन लाख रूपये और दिनांक 18.02.2019 को 3,55,000/- रूपये यानि समस्त तयशुदा रकम मृतक राजेश कुमार ने अभियुक्तगण को अदा कर दी परंतु अभियुक्तगण ने न तो वादी के भाई मृतक राजेश कुमार को दुकान दी और न ही रकम वापस की और मृतक का मानसिक रूप से शोषण किया और प्रताड़ित करते हुए मृतक की पत्नी और बच्चों को भी जान से मारने की धमकी दी। जिस उत्पीड़न के कारण वादी के भाई ने रेल के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के संबंध में वादी के भाई चमन सिंह के द्वारा संबंधित थाना नई मण्डी पर मूल टाईपशुदा तहरीर प्रदर्श क-1 दी गयी थी, जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 375 सन 2019 अंतर्गत धारा 306 भा.दं.संहिता थाना नई मण्डी पर पंजीकृत किया गया तथा मामले में विवेचना की गयी।

विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा वादी मुकदमा व अन्य साक्षीगण के बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्रर.संहिता अंकित किये गये। साथ ही विवेचक द्वारा घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया एवं विवेचनोपरांत मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य न पाते हुए अंतिम रिपोर्ट सं. 173/2019 दिनांकित 19.12.2019 न्यायालय में प्रेषित की। जिस पर वादी मुकदमा द्वारा प्रोटेस्ट पीटिशन याचिका दायर की गयी और विद्वान अवर न्यायालय द्वारा वादी मुकदमा की प्रोटेस्ट पीटिशन याचिका दिनांक 21.01.2021 स्वीकार करते हुए अंतिम रिपोर्ट निरस्त की और प्रकरण में अग्रिम विवेचना का आदेश पारित किया। जिसके पश्चात् प्रकरण में अग्रिम विवेचना होने के पश्चात् अभियुक्तगण अजय स्वरूप बंसल और आशुतोष स्वरूप बंसल के विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क-7 अंतर्गत धारा 306 भा.दं.संहिता न्यायालय में प्रेषित किया गया।

16. इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप बताया गया है कि वह सहअभियुक्त मृतक के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतक राजेश कुमार को किराये पर दुकान देने के संबंध में क्रमशः दिनांक 11.01.2019 एवं दिनांक 18.02.2019 को अलग अलग क्रमशः तीन लाख एवं 3,55,000/- रूपये बतौर पगड़ी प्राप्त करने के बावजूद चाबी न देकर कब्जा नहीं दिया और मृतक का इस प्रकार मानसिक रूप से शोषण करते हुए प्रताड़ित किया जिसके चलते दिनांक 10.07.2019 को समय 10.15 बजे नई मण्डी थाने के पास रेलवे क्रासिंग पर मृतक राजेश कुमार रेल के आगे कूदकर आत्महत्या कर लिया और इस प्रकार अभियुक्त मृतक को आत्महत्या करने के लिये उकसाया।

17. स्वीकृत रूप से मृतक की मृत्य ट्रेन से कटकर हुई है। जिसके संबंध में अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–4 डॉ0 मौहम्मद आसिफ ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि दिनांक 10.07.2019 को वह बतौर मैडिकल ऑफिसर पी.एच.सी. दूधली पर तैनात था जो जिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत आती है। उस दिन उसकी ड्यूटी पोस्टमार्टम हेतु नियत थी। दिनांक 10.07.2019 को थाना कोतवालीनगर को पुलिस कर्मचारीगण कमलेश व बिजेन्द्र सिंह जिनमें कमलेश एच.सी. तथा होमगार्ड बिजेन्द्र सिंह 10 पुलिस प्रपत्र के साथ मृतक राजेश कुमार पुत्र प्रताप सिंह आयु 41 वर्ष निवासी रामलीला टिल्ला थाना कोतवाली नगर जिला मुजफ्फरनगर के शव को पी.एम. कराये जाने हेतु सील बन्द बन्डल में सील सर्वे मोहर हालत में मोर्चरी पर लेकर आये थे। उसके द्वारा मृतक के शव जो सील बन्द बन्डल में था उस की सील की जांच की गई थी जो सही लगी थी। मृतक राजेश कुमार के शव को मेरे द्वारा 4.45 पी.एम. पर शव विच्छेदन हेतु उपरोक्त 10 पुलिस प्रपत्रों के साथ प्राप्त किया गया था। मृतक राजेश कुमार के शव की शिनाख्त उसके मौसेरे भाई अंकित और पड़ौसी

राजू के द्वारा की गयी थी तथा शव के साथ आये उपरोक्त कर्मचारीगण के द्वारा भी मृतक राजेश कुमार के शव की शिनाख्त की गई थी। मृतक मध्यम तथा औसत कद काटी का था तथा शव विच्छेदन के समय मृतक शरीर पर कुल छः वस्त्र मौजूद थे जिनमें एक शर्ट, एक बनियान, एक बेल्ट, एक पैन्ट, एक अन्डर वियर और एक जोड़ी स्लीपर। शव विच्छेदन के पश्चात उन्हें बिना सील फर्द ही उसके द्वारा पुलिसकर्मियों को जो शव के साथ जो उपरोक्त पुलिसकर्मी आये थे उन्हें वापस कर दिया था। शव के शरीर पर मृत्यु पश्चात अकड़न शव के ऊपरी हिस्से पर मौजूद थी। मृतक की आंखे आधी खुली हुई थी और आंखे सफेद थी।

मृत्यु पूर्व आये बाह्य चोटों का विवरण में उक्त साक्षी ने बताया है कि मृतक के शरीर पर –चोट नं0–1 कुचला हुआ घाव नाक के ऊपर मौजूद था जिसका साईज 29cm x 13cm, 2cm नाक के मौजूद था। मृतक के सिर की सारी हड्डियां टूटी हुई थी और दिमाग absent था।चोट नं0–2 Las Wound मृतक के राईट चेहरे और ठोडी के राईट साईड पर मौजूद थी जिसका साईज 10cm x 5 cm था तथा अन्दर की समस्त हड्डियां टूटी हुई थी और ओरल केविटी डीप थी। चोट नं0–3 खरोंचदार निशान (Abrasion) जो 20 x 14cm के साईज में राईट कन्धे पर मौजूद था जो कि राईट कोहनी के 10 cm ऊपर था तथा मृतक का सीधा हाथ कटा हुआ, राईट साईड का फोरआर्म मौजूद नही था। सीधे हाथ का जो हिस्सा फोरआर्म करने के बाद मौजूद था उसकी हड्डी निकली हुई थी। कई खरोंचदार निशान पूरी छाती पर मौजूद थे जिनका साईज 20x14 cm था और जो clavide हड्डी के नीचे मौजूद थी।

इसी प्रकार उक्त साक्षी ने मृतक के आन्तरिक परीक्षण के संबंध में यह बताया है कि मृतक के– सिर और चेहरे की सारी हड्डियां टूटी हुई थी। खोपड़ी laserated थी और कुचली हुई अवस्था में थी। नाक और मुंह की सारी हड्डियां

टूटी हुई थी। मुंह, जीभ, ग्रसनी Laserated थी। राईट साईड की पसलियां 2 से 8 तक की फ्रैक्चर थी। Pleure Laserated था। Pleural Cavities दोनों तरफ रक्त मौजूद था। दोनों फेफडें Laserated थे। हर्ट खाली था। उदर कूब पेल था। पेट आमाश्य खाली था। आंतों में गैस और मल मौजूद था। इसी प्रकार पीलीहा, लीवर, गॉल ब्लेडर और दोनों गुर्दे पेल थे। यूरिन ब्लेडर और मूत्र वाहनी खाली थी। मेरी राय में मृतक की मृत्यु का कारण सदमा और अत्यधिक रक्त स्राव और मृत्यु पूर्व आई चोटों के कारण सम्भव है जो चोटे बाह्रय विवरण की चोटें में दर्शायी गयी है। मेरी रायम में मृतक की मृत्यु दिनांक 10.07.2019 को पोस्ट मार्टम करने से लगभग दिन के 1/3 हिस्से में होना सम्भव है।

इसी क्रम में उक्त साक्षी ने अपने बयान में मृतक की मृत्यु 10.07.2019 को सुबह 10 सवा दस बजे होना भी सम्भव है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सं0–419/19 पत्रावली पर संलग्न 12क/9 है जो मेरे हस्तलेख में है जो शव विच्छेदन करते समय मेरे द्वारा तैयार की गई थी जिस पर मेरा पदनाम व मोहर अंकित है तथा हस्ताक्षर है जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। मृतक राजेश का कुमार पोस्टमार्टम मेरे द्वारा समय 4.50 पी.एम. पर प्रारम्भ करके 5.15 पी.एम. को पूर्ण किया गया था।

इसके अलावा बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर इसी साक्षी ने बताया कि उसके पास पोस्टमार्टम किये जाने से पूर्व शव के साथ भेजे गये समस्त प्रपत्रों का भली भाँति अवलोकन कर लिया था। पंचायतनामा व उसके साथ सोनू नाम व्यक्ति द्वारा प्रभारी निरीक्षक नई मण्डी को दिये गये प्रार्थना पत्र व अन्य प्रपत्रों का भली भाँति अवलोकन कर लिया था। वह अपने द्वारा लघु हस्ताक्षरित प्रपत्र सीरियल नं. 2 जो पंचायतनामें का मूल व सीरियल नं. 5 जो सोनू के दस्तखत है तथा जो कथन अंकित है कि मृतक की ट्रेन की

चपेट में आकर मृत्यु हुई है से सहमत है और उसकी पोस्टमार्टम प्रदर्श क–2 में भी चोट इसी प्रकार की अंकित है।

इसके अतिरिक्त अभियोजन प्रपत्र पंचनामा एवं संलग्नक कागजात क्रमशः प्रदर्श क–11, तहरीर प्रदर्श क–12 एवं प्रदर्श क–13 लगायत प्रदर्श क–16 के अवलोकन से जाहिर होता है कि मृतक की मृत्यु उसके शरीर में ट्रेन से टकरा जाने से दाहिने हाथ की हथेली के कटने, माथे व सिर पर चोट आने तथा हैमरेज व अतिरिक्त रक्त स्त्राव के कारण दिनांक 10.07.2019 को रेलवे क्रासिंग थाना अंतर्गत नई मण्डी में हुई रही थी और जैसा कि उक्त साक्षी पीडब्लयू 04 एवं गवाह पंचनामा के अंकित कथन तथा प्रदर्श क–20 नक्शा नजरी में दर्शित तथ्यों के आधार पर साबित होता है।

17(क) अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर दाखिल अभियोजन प्रपत्र प्रदर्श क–4, प्रदर्श क–5, प्रदर्श क–6, प्रदर्श क–18, प्रदर्श क–19 व प्रदर्श क–21 के बिनाय पर यह कहा गया है कि मृतक ने अपने बैंक के माध्यम से पैसे निकालकर दो बार में कुल 6,55,000/– रूपये अभियुक्तगण को दुकान की पगड़ी के रूप में दिया था, किंतु कब्जा न मिलने व अभियुक्तगण की प्रताड़ना के चलते ही मृतक ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कारित की और मौके पर मृतक के पास से सुसाईड नोट बरामद हुआ है। इसी बिन्दू पर पीडब्ल्यू 05 उ.नि. मुकेश कुमार ने अपने बयान में बताया है कि पंचनामा तैयार करते समय भी कोई सुसाईड नोट बरामद नहीं हुआ था, बल्कि प्रथम बार दिनांक 10.07.2019 समय 23.40 बजे थाना पर दाखिल कराया गया था। जिससे जाहिर होता है कि मृतक की मृत्यु के समय अथवा उसके पंचनामा के वक्त मृतक का कोई सुसाईड नोट उसके शव से बरामद नहीं हुआ था।

दिनांक- 02.07.2026

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर
आई.डी. यू.पी.-5746

इसके अलावा अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–5 उ.नि. मुकेश कुमार ने ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि दिनांक 24.02.2021 को वह थाना नई मण्डी पर बतौर एस.आई. तैनात था। मु.अ.सं. 375/2019 अन्तर्गत धारा 306 भा.दं.सं. की विवेचना मुझे माननीय न्यायालय ए.सी.जे.एम. कोर्ट संख्या 1 के द्वारा वादी मुकदमा चमन सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पेटीशन पर पारित आदेश के अनुपालन में पुनः विवेचना उसे प्राप्त हुई थी। उसके द्वारा केस डायरी का पर्चा नंबर 25 दिनांक 24.02.2024 को किता किया था। इस पर्ची में उपरोक्त न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया और उसकी नकल केस डायरी में किता की गयी। दिनांक 25.02.2021 को उसके द्वारा सी.डी. का पर्चा नंबर 26 किता किया गया था जिसमें पूर्व किता सी.डी. का अवलोकन किया गया था। दिनांक 05.03.2021 को उसके द्वारा सी.डी. का पर्चा नंबर 27 किता किया गया, जिसमें वादी के घर जाकर, वादी नहीं मिला। दिनांक 10.03.2021 को सी.डी. नंबर 28 किता की गयी, जिसमें उसके द्वारा वादी के घर गया, वादी नहीं मिला। दिनांक 25.03.221 को सी.डी. नंबर 29 दिनांक 10.04.2021 सी.डी. 30 में वादी के मकान पर जाकर वादी को तलाश किया वादी नहीं मिला। दिनांक 28.04.2021 को सी.डी. नंबर 31 किता की गयी, जिसमें वादी के मकान पर जाकर वादी के मोबाईल नंबर पर सूचना दी और वादी के परिजनों को 160 का नोटिस/सफीना किया गया। दिनांक 12.05.2021 को सी.डी. नंबर 32 किता की गयी। जिसमें उसके द्वारा माननीय न्यायालय से मूल केस डायरी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया। दिनांक 09.06.2021 को सी.डी. नंबर 33 किता की गयी, जिसमें उसके द्वारा अन्तर्गत 91 सी.आर.पी.सी. का नोटिस दिया गया। दिनांक 21.06.2021 को सी.डी. 34 किता की गयी, जिसमें उसके द्वारा वादी के घर पर जाकर 91 सी.आर.पी.सी. का नोटिस व वादी की माता कमलेश व बहिन बबली व मृतक की पत्नि सबी की हिदायत दी गयी कि यदि अन्य कोई दस्तावेज थे तो उसे उपलब्ध कराया। दिनांक 30.06.2021 को सी.डी. नंबर

35 किता की गयी, जिसमें उसके द्वारा माननीय न्यायालय से तीन डायरियाँ प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था। मृतक का सुसाईड नोट व तीन डायरियों माननीय न्यायालय द्वारा कोविड का हवाला देते हुए, बाद में प्राप्त कराने को कहा। दिनांक 06.07.2021 को सी.डी. नंबर 36 किता की गयी, जिसमें उसके द्वारा तीन डायरियों व सुसाईड नोट की छायाप्रतियां प्राप्त हुई, जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु बेजी जा रही है व वादी द्वारा उ0प्र0 शासन के आदेश दिनांक 04.06.2021 को उक्त विवेचना मेरठ स्थानान्तरण कर दी गयी है का अवलोकन किया। दिनांक 10.04.2021 को सी.डी. नंबर 37 किता की गयी, जिसमें उसके द्वारा तीन डायरियों व सोसाईट नोट की छायाप्रति सील सर्वे मोहर कर कां. सुमित के द्वारा गाजियाबाद भेजा गया। दिनांक 14.07.2021 को सी.डी. नंबर 38 किता की गयी, जिसमें उसके द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा डायरी की छायाप्रति सोसाईट नोट का ऐतराज लगाकर वापिस कर दिया गया, का हवाला सी.डी. में अंकित किया गया। दिनांक 26.07.2021 को सी.डी. नंबर 39 किता की गयी, जिसमें जो एतराज लगा था इस क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा मूल प्रपत्र जो केस डायरी में लगे थे, इसे प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। दिनांक 27.07.2021 को सी.डी. नंबर 40 किता की गयी, जिसमें उसके द्वारा वादी के घर पर जाकर परिजनों को 91 सी.आर.पी.सी. का नोटिस व मृतक राजेश के बैंक संबंधी दस्तावेज हो तो माननीय न्यायालय द्वारा 15 दिन का समय दिया गया है, उस अवधि में प्राप्त कराये। दिनांक 31.07.2021 को सी.डी. नंबर 41 किता की गयी, जिसमें उसके द्वारा पर्चा नंबर 40 उपरोक्त का इन्द्राज किया गया। दिनांक 24.08.2021 को सी.डी. का पर्चा नंबर 42 किता किया गया, जिसमें उसके मोबाईल नंबर पर मृतक का एकाउन्ट नंबर भेजा गया, जिसमें एकाउन्ट नंबर के मूल प्रपत्र प्राप्त करने हेतु बैंक को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया। जिसमें बैंक के मूल प्रपत्र व तीन डायरियां व सोसाईट नोट महिला है.का. गीता को देकर

एफ.एस.एल. गाजियाबाद भेजा गया। बैंक के मूल प्रपत्र पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या 34 क/2 लगायत 34 क/7 है, जिन पर प्रदर्श क–3 डाला गया। दिनांक 02.09.2021 को सी.डी. का पर्चा नंबर 43 किता किया गया, जिसमें उसके द्वारा उपरोक्त सोसाईट नोट व तीन डायरिया लाने हेतु कां. 182 अभिषेक को एफ.आई.एल. गाजियाबाद भेजा। दिनांक 11.09.2021 को सी.डी. का पर्चा 44 किता किया गया, जिसमें उसके द्वारा मूल प्रपत्र एच.सी. गीता द्वारा गाजियाबाद से लाये गये। जिसमें एफ.एस.एल. गाजियाबाद ई–1237 पत्रांक 96 प्रलेख गाजियाबाद 2021 के सील लिफाफे को खोला गया, जिसमें विवादित प्रलेख (अ.ची.) प्रश्न–1, प्रश्न–2 डायरी का पन्ना (मार्च 14, 15, 16, 17, 18) के मुख्य व पुश्त आवती लेख हस्ताक्षर विवादित है। डायरी का एक पन्ना (फरवरी 2010) को मुख्य व पुस्त पर आवती लेख/हस्ताक्षर बतौर स्वाभाविक नमूना है। एक अदद सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया का खाता खोलने का फार्म नंबर 9 के विभिन्न पन्नो पर आवती लेख हस्ताक्षर बतौर सम्भावित नमूना है, उक्त के अतिरिक्त एक अदद डायरी जिस पर क्लास मेट लिखा है व एक अदद छोटी डायरी जिस पर नोट बुक लिखा है प्राप्त हुई कटिंग/ओवराईटिंग को परिषण में शामिल नहीं किया गया है, नमूना लेख चिहिनत ए1 से ए8 को परिक्षा में सम्मिलित नहीं किया गया है। उपरोक्त वर्णित प्रलेखों की परीक्षा इस प्रयोगशाला में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों श्रोतों के माध्यम से की गयी, परिषण परिणाम भिन्न है। परिक्षा परिणाम विवादित लेख/हस्ताक्षर चिहिनत प्रश्न 1 से प्रश्न 2 के संबंध में नमूना लेख/हस्ताक्षर चिहिनत ए9 से ए29 के प्रति लेखन विशिष्टताओं में समानता है। पत्रावली पर संलग्न प्रमाणित छायाप्रतियां डायरी क्रमकों वर्ष 2010 के पेजों की प्रमाणित छायाप्रतियों कागज संख्या 28 क/3 लगायत 28 क/22 पर संयुक्त रूप से प्रदर्श क–4 डाला गया। लिफाफा कागज संख्या 28 क/2 पर प्रदर्श क–5 डाला गया। पत्रावली पर संलग्न वर्ष 2010 की डायरी की प्रमाणित छायाप्रति 28 क/22 पर प्रदर्श क–6 डाला गया। पत्रावली

पर संलग्न उपरोक्त प्रदर्शों पर बचाव पक्ष की ओर से आपत्ति की गयी। दिनांक 23.09.2021 को सी.डी. नंबर 45 किता की गयी, जिसमें उसके द्वारा माननीय न्यायालय से प्राप्त मूल प्रपत्रों को माननीय न्यायालय को वापिस किया गया। दिनांक 25.10.2021 को पर्चा नंबर 46 किता किया, जिसमें उसके द्वारा मृतक की पत्नि व माता के बयान लिये। दिनांक 26.10.2021 को याद 164 सी.आर.पी.सी. के बयान हेतु मृतक की पत्नि को न्यायालय में पेश किया, जो सी.डी. नंबर 47 में है। दिनांक 30.10.2021 को उसके द्वारा सी.डी. का पर्चा नंबर 48 किता किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में अब तक की की गयी विवेचना, निरीक्षण घटना स्थल, स्वतंत्र गवाहों की बयानात अभिलेखीय साक्ष्य एफ.एस.एल. की रिपोर्ट के आधार पर एवं वादी द्वारा दी गयी पैन ड्राईव एवं मृतक राजेश व नामजद के मोबाईल नंबरों की सी.डी. 2 के अवलोकन आदि से तथा बैंक के प्रपत्र व डायरियों के हस्ताक्षर मिलान व एफ.एस.एल. की रिपोर्ट के अनुसार समानता पाये जाने पर अभियुक्तगणों अजय स्वरूप बंसल व आशुतोष स्वरूप बंसल पुत्रगण स्वर्गीय विष्णु स्वरूप बंसल निवासीगण 196 चौकी सिविल लाईन थाना सिविल लाईन जिला मुजफ्फरनगर के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र संख्या 385/21 धारा 306 भा.दं.सं. में न्यायालय को उसके द्वारा प्रेषित किया गया था। आरोप पत्र पत्रावली पर कागज संख्या 4क/1 ता 4क/3 है, जिस पर उसका पदनाम व हस्ताक्षर अंकित है तथा थाना नई मण्डी की मोहर अंकित है आरोप पत्र पर प्रदर्श क–7 डाला गया।

इसी क्रम में बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर इसी साक्षी ने बताया कि ये सही है कि उसके द्वारा विवेचना ग्रहण करने से पूर्व उसके पूर्व विवेचक उपनिरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह व उपनिरीक्षक शिवकुमार द्वारा सम्पूर्ण केस डायरी का एंव समस्त प्रपत्रो केस डायरी के प्रपत्रो का भलीभाति एंव सम्यक रूप से अध्ययन कर लिया गया था। उसके पूर्वाधिकारियो द्वारा केस डायरी में

सी0 डी0 नं 24 दिनांकित 19.12.2019 तक पूर्व विवेचना सम्पादित की गयी थी एंव यह भी सही है कि पूर्व विवेचक श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा इसी दिनांक 19.12.2019 को सम्यक रूप से विवेचना सम्पादित करने के उपरान्त मुकदमें में कोई सचाई न पाते हुये इस अकंन के साथ कि मुकदमा उपरोक्त में अब तक की गयी विवेचना निरीक्षण घटना स्थल स्वतन्त्र गवाहो के ब्यान व अभिलेखीय साक्ष्य, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर व वादी द्वारा दी गयी पैन ड्राईव एंव मृतक राजेश एंव नामजद के मोबाईल नं0 की प्राप्त की गयी सी0 डी0 आर के अवलोकन इत्यादि से मुलजिमान अजय स्वरूप बसंल व आशुतोष बसंल पुत्रगण स्व 0 विष्णु स्वरूप बसंल निवासी 196 सिविल लाईन नोर्थ थाना सिविल लाईन जिला मुजफ्फरनगर के द्वारा मृतक राजेश को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने के सम्बन्ध में किसी तरह का कोई साक्ष्य उपलब्ध नही हुआ है क्योंकि अभियोग में मृतक राजेश पर दुकान लेने के लिये काफी कर्ज हो जाने के कारण मृतक द्वारा आत्महत्या करने के साक्ष्य पाये गये है। अतः अभियोग में नामित अभियुक्तो द्वारा मृतक राजेश को मानसिक रूप से किसी तरह से प्रताडित करना नही पाया गया है। जबकि वादी के भाई मृतक राजेश द्वारा स्वयं आत्महत्या करना पाया गया है। अभियोग में किसी आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने सम्बन्धी कोई साक्ष्य ना पाये जाने के फलस्वरूप विवेचना द्वारा अन्तिम रिपोर्ट संख्या 173/ 19 दिनांक 19.12.2019 को समाप्त की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध कगज संख्या 3 क/1 ता 3 क/2 नरेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत की गयी अन्तिम रिपोर्ट है। जो तत्कालीन थाना प्रभारी नई मण्डी द्वारा अग्रसारित है। वह विवेचक श्री नरेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर पहचानता है। जिस पर प्रदर्श ख–1 डाला गया। प्रस्तुत प्रकरण मे उसके द्वारा अग्रिम विवेचना न्यायालय के आदेशानुसार उक्त प्रदर्श ख 1 के विरूद्व वादी पक्ष की और से विरोध पत्र देने के उपरान्त ग्रहण की गयी थी एंव माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उसने दिनांक 24.02.2021 को जरिये सी0 डी0 नं 25

विवेचना ग्रहण की थी एवं पूर्वकिता केस डायरी के समस्त प्रपत्रो का अवलोकन किया था। प्रस्तुत प्रकरण में पंचायतनामा श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा किता किया गया था एवं उक्त पंचायतनामा उसके सामने है जिसके साथ सलंग्नक मृत्यु सम्बन्धी सूचना सोनू पुत्र रामचन्द्र द्वारा दी गयी है जो कागज संख्या 12/3 है एवं इस प्रपत्र में सोनू पुत्र रामचन्द्र द्वारा अंकित कराया गया है कि एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु हो गयी है, जिसकी जेब में ड्राईविंग लाईसेन्स मिला जिस पर राजेश कुमार पुत्र प्रताप सिंह उक्त सूचना का उल्लेख पंचायतनामा के सलंग्नक नं0 5 में है। यह भी सही है कि थाना नई मण्डी की जी0 डी0 नं0 37 समय 13.32 बजे दिनांकित 10.07.2019 प्वाईन्ट मैन देवेन्द्र कुमार रेलवे स्टेशन मुजफ्फरनगर ने थाना हाजिर आकर एक किता सूचना पत्र स्टेशन मास्टर मुजफ्फरनगर से हाजिर आकर वापस डीएन/18478 एक्स के ड्राईवर ने अवगत कराया कि एक अज्ञात व्यक्ति 119/21–20 डी0 एन0 गाडी से टकराकर मर गया है। आवश्यक कार्यवाही हेतु नरेन्द्र सिंह को पंचायतनामा देकर उक्त सूचना पर रवाना किया गया। यह सही है कि पंचायतनामा तैयार करते समय मृतक के शव से कोई सुसाईड नोट बरामद नही हुआ था। प्रस्तुत मामले में थाना पर मुकदमा दिनांक अन्तर्गत धारा दिनांक 10.07.2019 को समय 19.48 पी0 एम0 पर दर्ज हुआ था। यह भी सही है कि एक सुसाईड नोट मुकदमा पंजीकृत होने के उपरान्त थाना नई मण्डी पर जरिये जी0 डी0 नं0 69 समय 23.40 दिनांकित 10.07.2019 को दाखिल किया गया है। उक्त सुसाईड नोट का हवाला केस डायरी में सलंग्न सी0 सी0 टी0 एन0 एस से तैयार है जो पत्रावली पर कागज संख्या 8क/2 मौजूद है। यह सही है कि सुसाईड नोट जिसका विवरण ऊपर दिया है वह सर्वप्रथम थाना पर दिनांक 10.07.2019 को समय 23.40 बजे थाना हाजा पर दाखिल किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा प्राथमिकी में दर्शायी गयी विषय वस्तु के सन्दर्भ में उसके द्वारा या उसके पूर्वाधिकारी द्वारा विवेचना सम्पादित की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी

मुकदमा द्वारा अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी के बड़े भाई राजेश कुमार ने एक दुकान जो कि सदर बाजार में स्थित है पगडी पर लेने के लिये अजय स्वरूप बसंल व आशुतोष बसंल को तयशुदा रकम अकंन छः लाख पचपन हजार रूपये में से दिनांक 11.01.2019 को तीन लाख रूपये व दिनांक 18.02.2019 को तीन लाख पचपन हजार रूपयें दिये थे। यह सही है कि उक्त छः लाख पचपन हजार रूपये के सन्दर्भ में जो पैसे का लेनदेन दर्शाया गया है उस रकम के बारे में दौरान विवेचना पक्षकारो के बीच में आर्थिक ट्रान्जक्शन के सम्बन्ध में कोई विवेचना मेरे पूर्वाधिकारी अथवा उसने और उसके पूर्वाधिकारी द्वारा किसी प्रकार साक्ष्य यथा बैंकिग ट्रान्जक्शन अथवा किसी प्रकार की पैसे देने की रसीद वादी पक्ष द्वारा दौरान विवेचना उसे या उसके पूर्व विवेचक को हस्तगत नही की गयी थी। उसके पूर्व विवेचक द्वारा मृतक के मोबाईल नं0 9758555587 एवं नामित अभियुक्त आशुतोष के मोबाईल नं 9319501000 एवं नामित अभियुक्त अजय स्वरूप के मोबाईल नं 9219532584 के सन्दर्भ में काल डिटेल विधिवत रूप से प्राप्त की थी एवं मृतक राजेश तथा नामित अभियुक्त आशुतोष एवं अजय स्वरूप के साथ किसी प्रकार का वर्तालाप होना उसके पूर्वाधिकारी द्वारा नहीं होना पाया गया था। जिसका उल्लेख उन्होने सी0 डी0 4 एंव 6 में नहीं पाया गया था। दौरान विवेचना मृतक की डायरी व अन्य प्रपत्र की छाया प्रतिया विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजी गयी थी। जिस पर विधि विज्ञान प्रयोग शाला की और से आपत्ति आयी थी एवं तत्पश्चात् न्यायालय आदेश पर मूल प्रपत्र एवं बैंक से मृतक का खाता खोलने का हस्ताक्षर मिलान हेतु विधिवत रूप से प्राप्त करके विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गये थे। उसके पूर्वाधिकारी द्वारा अथवा उसके द्वारा मृतक की कथित डायरी व अन्य प्रपत्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला में आपत्ति आने तक कब्जे पुलिस में नही लिये गये थे एवं आपत्ति लगने के बाद डायरी एवं बैंक से खाता खोलने का फार्म प्राप्त किये गये थे। इतने अन्तराल में मृतक की डायरी वादी मुकदमा कब्जे में पुलिस द्वारा कब्जे में नही ली गयी है। पत्रावली पर

मौजूद विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश गाजियाबाद कागज संख्या 34क/1 उसके सामने है इसके अनुसार सम्बन्धित प्रलेख एक सील्ड लिफाफे में प्रयोगशाला में दिनांक 24.08.2021 को महिला है0 का0 गीता रानी द्वारा प्राप्त हुई थी। जिसमें प्रदर्शो का विवरण क्यू 1 क्यू 2 डायरी का एक पन्ना (मार्च चैदह, पन्द्रह, सौलह अठारह) के मुख व पुश्त आवृतक लेख/हस्ताक्षर विवादित है। नमूना प्रलेख (अ0चि0) ए–1 से ए– 29 एक अदद डायरी जिसके कवर पेज पर कृभको 2010 लिखा है, के विभिन्न पन्नो पर आवृत लेख/हस्ताक्षर व डायरी का एक पन्ना (फरवरी 2010) के मुख व पुश्त पर आवृत लेख/ हस्ताक्षर बतौर स्वाभाविक नमूना है। एक अदद सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया का खाता खोलने का फार्म – 9 वर्क क विभिन्न पन्नो पर आवृत लेख/हस्ताक्षर बतौर स्वाभाविक नमूना है। परीक्षा परिणाम विवादित लेख/हस्ताक्षर चिन्हित क्यू 1, क्यू 2 के सम्बन्ध में नमूना लेख/हस्ताक्षर चिन्हित ए– 9 से ए–29 के प्रतिलेखन विशिष्टताओ में समानता है। उक्त विधि विज्ञान प्रयोग शाला का पत्रांक संख्या 96– प्रलेख–ग–2021 है। यह सही है कि उक्त एफ0एस0एल0 की रिपोर्ट के साथ कोई भी सलंगनक यथा निष्कर्ष के विषय में कोई विस्तृत डाटा, निगेटिव या फोटोग्राफ सलंग्न करके नही आये मात्र विधि विज्ञान प्रयोग शाला की परीक्षण रिपोर्ट अकेली प्राप्त हुई थी। साक्षी ने एकाउन्ट ओपनिंग फार्म जो उसे बैंक मैनेजर द्वारा दिया गया था। इस ए0ओ0एफ0 फार्म प्रदर्श क 3 के अनुसार खाता धारक राजेश कुमार की पहचान करने वाले का कोई विवरण नही अंकित नही है। उसने दौरान विवेचना खाता धारक राजेश कुमार के खाते के विषय में किसी प्रकार का कोई ब्यान सैन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया के मैनेजर का अंकित नही किया है। फार्म लाने का तस्करा केस डायरी में किया है। जब उसने विवेचना की थी उस समय खाता चालू हालत में था। लेकिन उसने यह जांच नही की थी कभी इस खाते से तीन लाख या तीन लाख पच्चीस हजार से सम्बन्धि धनराशि का कोई आहरण किया

गया है या नही। वर्तमान में पत्रावली पर मूल डायरी उपलब्ध नही हैं। जिन प्रपत्रों पर प्रदर्श क 4 पड़ा हुआ है वह लेने देने से सम्बन्धित है, वह छाया प्रतियां है। प्रदर्श क 4 पेपर संख्या 28 क/21 है जो अठाईस मार्च व उनतीस मार्च से सम्बन्धित है, "इसमें लिखा है कि बहन मैं सबसे बडा गुनहगार तुम्हारा हूँ तुम्हारा हक मारकर मैं कुछ बनने चला था और सबको बर्बाद कर बैठा ऐसा कसाई भाई किसी को ना दे। बहन या तो जीजाजी के यहां चली जाना फांसी लगा लेना और सुसाईड नोट जरूर लिखना वैसे तो जिन्दगी मौत से भी मुश्किल होने वाली है।" यह सही है कि विवेचना के दौरान उसके पूर्वाधिकारी या स्वयं उसके द्वारा कतिपय रूप से अभियुक्तगण एवं वादी पक्ष के बीच किसी एग्रीमेन्ट वादी पक्ष से या मुलजिमान पक्ष से प्राप्त नहीं किया गया और ना ही वादी पक्ष द्वारा उपलब्ध कराया गया। यह भी सही है कि कतिपय रूप से आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने के लिये कोई स्वतन्त्र या मौखिक साक्ष्य उसे या उसके पूर्वाधिकारी को उपलब्ध नहीं हुये थे। यह कहना गलत है कि उसके द्वारा प्रस्तुत मामलें में गहनता पूर्वक विवेचना न करते हुये मात्र सरसरी तौर पर सकंलित साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो। उसके पूर्वाधिकारी द्वारा स्वतन्त्र गवाहान जरिये सी0 डी0 नं0 23 दिनांकित 15.12.2019 उसके पूर्वाधिकारी द्वारा का भी स्वतन्त्र साक्षियो सुनील कुमार पुत्र अमर सिंह, मनु बसंल पुत्र विश्वनाथ, जान मौहम्मद पुत्र अली मौहम्मद, रोहित कुमार पुत्र रोशन लाल, रजनीश कुमार पुत्र हरिहर कुमार आदि के ब्यान अकिंत किये गये है। उसके बाद ही अन्तिम रिपोर्ट उसके पूर्वाधिकारी दी गयी है।

जबकि इस संबंध में प्रदर्श क–10 एवं प्रदर्श क–12 से जाहिर होता है कि मृतक के जेब से केवल एक डी.एल. बरामद हुआ था और इस संबंध में अभियोजन साक्षी पीडब्लयू 05 उ.नि. मुकेश कुमार ने अपने बयान के पेज 06 व 13 पर फर्द प्रदर्श क–16, प्रदर्श क–17, प्रदर्श क–18, प्रदर्श क–19 तथा

एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श क–21 के संदर्भ में यह बयान दिया है कि डायरी के पन्ना मात्र 14 से 18 2010 के मुख्य व पुष्ठ आवति लेख हस्ताक्षर विवादित हैं और सेन्ट्रल बैंक खाता के पन्ने पर लेख हस्ताक्षर संभावित नमूना है और उसमें ओवरराईटिंग को परीक्षण में शामिल नहीं किया गया है और न ही चिह्नित अक्षर ए–1 से ए–8 को भी परीक्षण में शामिल नहीं किया गया है और परीक्षण परिणाम भिन्न हैं। जबकि विवादित लेख व हस्ताक्षर चिह्नित क्यू–1 व क्यू–2 के संबंध में नमूना लेख ए–9 से ए–29 के प्रति लेखन में विशिष्टताओं में समानता पायी गयी है। जबकि सुसाईड नोट के संबंध में उक्त साक्षी ने दिनांक 19.05.2026 को दिये गये बयान में यह बताया है कि पत्रावली पर मूल डायरी उपलब्ध नहीं है और प्रदर्श क–4 लेन–देन से संबंधित छायाप्रति है, जिसमें यह लिखा है कि "बहन मैं सबसे बड़ा गुन्हागार तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हक मारकर मैं कुछ बनने चला था और सबको बर्बाद कर बैठा ऐसा कसाई भाई किसी को न दे, बहन या तो जीजा जी के यहाँ चली जाना फाँसी लगा लेना और सुसाईड नोट जरूर लिखना वैसे तो जिंदगी मौत से भी मुश्किल होने वाली है।" उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पक्षों के मध्य कोई एग्रीमेंट का साक्ष्य नहीं मिला था और आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने के लिये भी कोई स्वतंत्र अथवा मौखिक साक्ष्य हासिल नहीं हुआ। इसी बिन्दू पर प्रदर्श क–21 में एक पन्ना लाईनदार को विवादित होना मानते हुए खाता खोलने के फार्म सं. 9 व एक अदद डायरी छोटी के हस्ताक्षर के मिलान का परीक्षा परिणाम अंकित है, जिसके अनुसार विवादित हस्ताक्षर के संबंध में नमूना लेख के विशिष्टताओं में समानता पायी गयी है। जबकि नमूना डायरी के कवर पर क्रभको 2010 लिखा था और उसी प्रकार खाता खोलने के फार्म सं. 9 के पन्नो पर हस्ताक्षर को स्वाभाविक नमूना माना गया था। जबकि प्रदर्श क–4 में मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में अभियुक्त के डराने, धमकाने पर आत्महत्या करने की बात लिखी है और इसी प्रकार एक पत्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नाम में भी अंकित है, जिसमें भी अभियुक्त के द्वारा

डराने, धमकाने के कारण आत्महत्या करने की बात लिखी हुई है। इसके अलावा उक्त डायरी प्रदर्श क–4 में अन्य हिसाब किताब का अंकन होना भी दर्शित है और मम्मी, रूबी, बंटी भाई के बारे में भी लिखा है जिससे यह परिलक्षित होता है कि मृतक कथित हेतुक के अलावा अन्य मामलों में भी परेशान रहा था और उक्त डायरी उसके द्वारा अलग अलग समयों पर लिखी जानी प्रतीत होती है।

18. स्वीकृत रूप से प्रस्तुत मामले में प्रथम बार बाद विवेचना अंतरिम रिपोर्ट प्रदर्श ख-1 संस्थित की गयी थी और बाद में प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश के अनुक्रम में अग्रिम विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रदर्श क-7 प्रेषित किया गया।

जबकि इस संबंध में अभियोजन की ओर से पेश वादी मुकदमा चमन सिंह पी.डब्लू.-1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि मृतक राजेश कुमार उसका बड़ा भाई था। उसका बड़ा भाई नौकरी करता था। वह हाजिर अदालत मुल्जिम अजय स्वरूप बंसल व आशुतोष स्वरूप बंसल को जानता पहचानता है। हाजिर अदालत मुल्जिमान से उसके भाई मृतक राजेश की दुकान खरीदने के संबंध में कोई बातचीत नहीं चल रही थी न ही कोई एग्रीमेंट आदि दुकान की किरायेदारी की बाबत हुआ था। उसके भाई मृतक राजेश ने मुल्जिमान को दुकान किरायेदारी/खरीददारी की बाबत कोई पैसे नहीं दे रखे थे। उसके सामने उसके भाई मृतक राजेश व मुल्जिमान के बीच दुकान खरीदने के संबंध में छः लाख पचपन हजार रूपये का कोई सौदा नहीं हुआ था। उसके भाई मृतक राजेश ने दिनांक 11.01.2019 को तीन लाख रूपये हाजिर अदालत मुल्जिमान को नहीं दिये थे। दिनांक 18.02.2019 को तीन लाख पचपन हजार रूपये उसके भाई मृतक राजेश ने हाजिर अदालत मुल्जिमान को नहीं दिये थे। उसके भाई मृतक राजेश को हाजिर अदालत मुल्जिमान मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करते थे।

इस तरह की प्रताड़ित करने संबंधी कोई बात उसके भाई ने नहीं बताई थी। दिनांक 10.07.2019 समय करीब 08.30 बजे उसका भाई घर से काम के लिए गया था। रेलवे लाईन क्रास करते समय अचानक ट्रेन आ जाने के कारण ट्रेन से उसका एक्सीडेंट हो गया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके भाई मृतक राजेश ने हाजिर अदालत मुल्जिमान से तंग व परेशान होकर आत्महत्या नहीं की थी। उसके सामने उसके भाई मृतक राजेश की जेब से कोई सुसाईड नोट नहीं मिला न ही पंचायतनामा भरते समय कोई सुसाईड नोट मिला था। उसके भाई की जेब से उसका ड्राईविंग लाईसेंस मिला था जो पुलिस ने अपने पास रख लिया था। उसका भाई कम पढ़ा लिखा था और छोटे मोटे लेन–देन का कार्य करता था। बैंक संबंधी लेन–देन का काम भी मै देखता था। उसकी लेन–देन संबंधी डायरी मे भी इन्द्राज मै ही करता था। बैंक में खाता खुलवाने या लेन देन से संबंधित फार्म भी वह ही भरकर दे देता था तथा वह फार्म अक्सर उसकी भाभी रूबी उससे ले जाया करती थी। उसका भाई सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया में मृत्यु से करीब एक वर्ष पहले नहीं गया था। खाता खुलवाने का फार्म उसकी भाभी भरकर ले गई थी। उसका भाई साथ नहीं गया था। पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 6–क फोटोप्रति है। उसके द्वारा थाने पर तहरीर टाईप कराकर दी गई थी उसमें उसने किसी का नाम अंकित नहीं किया था। पत्रावली पर मौजूद 6 क पर उसके फोटोप्रति पर हस्ताक्षर हैं। जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। इस मामले में विवेचक ने उससे उसके भाई मृतक राजेश की डायरी मांगी गई थी। जो भी उसके पास उपलब्ध था वह उसने विवेचक को दे दिया था। पत्रावली पर मौजूद फर्द लेने कब्जे पुलिस शाहजी विष्णु स्वरूप ज्वैलर्स की रसीद है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं व कब्जा लेने एक डायरी जिसकी फर्द उसके सामने दरोगा जी ने तैयार की थी जो पत्रावली पर मौजूद है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

दिनांक- 02.07.2026

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर
आई.डी. यू.पी.-5746

इस स्तर पर अभियोजन के अनुरोध पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा प्रतिपरीक्षा की गयी। इस साक्षी से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक की ओर से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर उसे उसका धारा 161 दं.प्र.संहिता का बयान पढकर सुनाया गया परंतु इस साक्षी ने बताया है कि उसका दरोगा जी ने घटना के विषय में कोई बयान दौरान विवेचना नहीं लिया था। वह नहीं बता सकता कि उसका बयान विवेचक द्वारा कैसे लिख लिया गया। इस साक्षी द्वारा मृतक राजेश कुमार का मुल्जिमान से दुकान का सौदा छः लाख पचपन हजार रूपये में होने से इंकार किया और इस बात से भी इंकार किया कि मुल्जिमान मृतक को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं।

इसी क्रम में बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने बताया है कि प्रदर्श क-1 पर उसके मूल हस्ताक्षर नहीं है। जो रिपोर्ट थाने पर दी थी उसमें मात्र एक्सीडेंट हो जाने की बाबत टाईप कराकर दिया था। पत्रावली पर वादी के भाई मृतक का उसकी जेब से निकला ड्राईविंग लाईसेंस मौजूद नहीं मिला। पंचायतनामा भरते समय भी किसी प्रकार का कोई नोट मृतक की जेब से नहीं मिला। पंचायतनामा भरते समय दरोगा जी को बताया था कि अचानक रेल के सामने आ जाने से वादी के भाई की मृत्यु हो गयी है और वह कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। मृतक की डायरी के संबंध में इस साक्षी ने कहा है कि जो डायरी दरोगा जी को दी थी वह वादी ही याददिहानी के लिये लिखता था और वह डायरी उसी के पास रहती थी। असल डायरी उसके सामने मौजूद नहीं है। मृतक की पत्नी और मा को पैसो के लेनदेन के संबंध में कोई जानकारी या सरोकार नहीं था। कागज सं. 349/2 क 349/7 क पर फोटो वादी के भाई का ही लगा है लेकिन उक्त फोटो बैंक मैनेजर या किसी बैंक अधिकारी द्वारा प्रमाणित या सत्यापित नहीं है। उक्त खाता खुलवाने वाले प्रपत्र पर दो गवाहान के हस्ताक्षर भी नहीं है।

दिनांक- 02.07.2026

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर
आई.डी. यू.पी.-5746

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि साक्षी पी.डब्लू.-1 वादी मुकदमा चमन सिंह के द्वारा न्यायालय में शपथ पूर्वक दिये गये बयान में मुल्जिमान द्वारा उसके भाई को मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना बताया है। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने के बाद अभियोजन एवं बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे अभियोजन कथानक अनुसार अभियुक्तगण की संलिप्तता का तथ्य सन्देह से परे साबित किया जा सके।

इस प्रकार जबकि यह स्पष्ट होता है कि उक्त साक्षी पी.डब्लू.-1 वादी मुकदमा चमन सिंह द्वारा उसके भाई राजेश कुमार के साथ आरोपित अभियुक्तगण द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में मूल तहरीर प्रदर्श क-1 संबधित थाना नई मण्डी पर दी गयी थी, जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्व मुकदमा अपराध संख्या 375 सन 2019 अंतर्गत धारा 306 भा.दं.संहिता पंजीकृत किया गया था जिस पर अभियुक्तगण जिला कारागार में निरूद्व रहे परंतु वादी मुकदमा चमन सिंह पी.डब्लू.-1 द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान से परीक्षित अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोपों के संबंध मे सत्य व विश्वसनीय नहीं पाये जाते है तथा उक्त साक्षी के बयान से प्रदर्श क-1 मूल तहरीर के निष्पादन का तथ्य भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता। यहाँ तक कि उक्त साक्षी पीडब्लयू 01 के बयान से यह जाहिर होता है कि कथित सुसाईड नोट मृतक की जेब से नहीं मिला था और कथित बरामद डायरी का कोई सरोकार मृतक से नहीं था और उक्त साक्षी को मृतक के बैंक खाता दिनांकित 02.06.2018 की कोई जानकारी नहीं थी। इसी प्रकार उक्त साक्षी के बयान से यह भी जाहिर होता है कि वह कथित बैंक खाते पर अपने भाई के हस्ताक्षर को भी पहचान पाने में असमर्थ रहा है।

दिनांक- 02.07.2026

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर
आई.डी. यू.पी.-5746

ऐसी दशा में यह स्पष्ट होता है कि वादी पीडब्लयू 01 के बयान कथित घटना के हेतुक एवं घटना से संबंधित मूल तहरीर प्रदर्श क-1 कथित बरामदगी सुसाईड नोट, डायरी/बैंक खाता के संबंध में सत्य एवं सुसंगत होना नहीं पाया जाता, बल्कि यह स्पष्ट होता है कि वादी मुकदमा पीडब्लयू 01 जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दे रहा है जिसके संबंध में उसके विरूद्ध संक्षिप्त विचारण किये जाने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

19. इसी क्रम में अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.-2 कमलेश ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि उसके दो लडके, जिनमें से बड़े लड़के का नाम राजेश कुमार था। जिसकी करीब चार साल पहले रेलवे लाईन क्रास करते हुए ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी तथा उसका दूसरे छोटे लडके का नाम चमन सिंह है। उसके लड़के मृतक राजेश ने हाजिर अदालत मुल्जिमान अजय स्वरूप बंसल व आशुतोष बंसल से कोई दुकान सदर बाजार में पगडी व किराये पर नहीं ली थी न ही उसने दिनांक 11.01.2019 को तीन लाख रूपये व दिनांक 08.12.2019 को 3,55,000/– रूपये इन लोगो को दिए थे। उसके लडके मृतक राजेश ने किसी दुकान के किराये पर पगडी पर लेने के संबंध में व 6,55,000/– रूपये हाजिर अदालत मुल्जिमान अजय स्वरूप बंसल व आशुतोष बंसल को लेने की बाबत कोई बात नहीं बताई थी। उसके लड़के मृतक राजेश ने मुझे हाजिर अदालत मुल्जिमान द्वारा उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में भी कोई बात नहीं बताई थी। वह कभी भी हाजिर अदालत मुल्जिमान की दुकान पर नहीं गई, न ही इन्होंने उसे व उसके मृतक लड़के राजेश को जान से मारने की धमकी दी। उसके लडके मृतक राजेश ने हाजिर अदालत मुल्जिमान से परेशान होकर आत्महत्या नहीं की न ही इन्होंने उसके लडके मृतक राजेश को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उसके लड़के मृतक राजेश ने उसे कभी भी यह बात नहीं बताई की हाजिर अदालत मुल्जिमान ने

उसे व उसके बच्चों व पत्नी को जान से मारने की धमकी दी हो। उसके लडके मृतक राजेश का बैंक संबंधी लेनदेन व लिखापढी का सभी काम उसका छोटा लड़का चमन सिंह देखता व करता था। वह हाजिर अदालत मुल्जिमान अजय स्वरूप बंसल व आशुतोष बंसल को जानती व पहचानती हूँ।

इस स्तर पर अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण अभियोजन के अनुरोध पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा प्रतिपरीक्षा की गयी। इस साक्षी से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा के क्रम में उसका बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.संहिता पढकर सुनाया गया तो उसने यह बताया है कि ऐसा बयान उसने दरोगा जी को नहीं दिया। दरोगा जी ने उससे कोई पूछताछ नहीं की। दरोगा जी ने उसका बयान कैसे लिख दिया इसकी कोई वजह नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि मृतक राजेश ने मुल्जिमान अजय स्वरूप बंसल और आशुतोष स्वरूप बंसल से सदर बाजार में एक दुकान पगड़ी पर 6,55,000/- रूपये में लेनी तय की थी और दिनांक 11.01.2019 को तीन लाख रूपये और दिनांक 18.02.2019 को 3,55,000/- रूपये मुल्जिमान को दिये हों। यह कहना गलत है कि गवाह के लड़के ने मुल्जिमान द्वारा दुकान का कब्जा उसे न देने व उसके रूपये वापिस न करने के कारण और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के कारण ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की हो। यह कहना भी गलत है कि मुल्जिमानों से फैसला हो जाने के कारण वह अदालत में सही बात न बताकर झूठा बयान दे रही हो।

इसी क्रम में बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर इसी साक्षी ने बताया कि उसका छोटा लड़का चमन सिंह ही बड़े बेटे राजेश कुमार का बैंक संबंधी सारा कार्य देखता व करता था। जो भी दस्तखत बैंक में होते थे चमन ही

करता था और चमन सिंह ही डायरी आदि अपने हाथ से लिखता था। वह कभी आशुतोष बंसल और अजय स्वरूप बंसल की दुकान पर नहीं गयी और न ही उसके सामने उसके लडके ने मानसिक रूप से परेशान होने की कभी कोई बात बताई। उसके लड़के की मृत्यु रेलवे लाईन क्रास करते समय ट्रेन दुर्घटना में हुई है, उसने आत्महत्या नहीं की है। वह कभी मुल्जिमानों से नहीं मिली उन्हें उस दिन अदालत में देखा था। कभी किसी पुलिसवाले से इस संबंध में नहीं मिली।

ऐसी दशा में उक्त साक्षी के बयान से यह जाहिर होता है कि यह साक्षी न्यायालय में उपस्थित आरोपित अभियुक्तगण द्वारा मृतक को मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना बतायी है। यह भी बतायी है कि मृतक का मुल्जिमानों से कथित दुकान के संबंध में कोई सौदा नहीं हुआ और न ही कोई रूपये मृतक ने मुल्जिमानों को दिये। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि मृतक की मृत्यु रेलवे लाईन क्रास करते समय दुर्घटना में हो गयी। इसी प्रकार मृतक की माता पीडब्लयू 02 के उक्त बयान से भी कथित घटना का हेतुक युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता, बल्कि उक्त साक्षी के कथनानुसार उसके पुत्र मृतक की मृत्यु रेलवे क्रासिंग क्रास करते समय दुर्घटना में हुई थी। अतः इस साक्षी के समस्त साक्ष्य से अभियोजन को आरोपित अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोपों के संबंध में कोई समर्थन हासिल नहीं होता है।

20. इसी क्रम में अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.-3 रूबी लोधी ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि मृतक राजेश उसका पति था। उसके पति राजेश की मृत्यु रेलवे ट्रैक क्रास करते समय ट्रेन दुर्घटना में हुई थी। उसके पति मृतक राजेश कुमार ने कोई दुकान सदर बाजार मुजफ्फरनगर में नहीं ली थी, न ही उन्होने उसे इस संबंध में कुछ बताया था। उसकी जानकारी में नहीं है कि उसके पति मृतक राजेश कुमार ने हाजिर अदालत मुल्जिम अजय स्वरूप बंसल व आशुतोष

बंसल को दिनांक 11.01.2019 को तीन लाख रूपये व दिनांक 18.02.2019 को तीन लाख पचपन हजार (3,55,000/–) रूपये दिये हों। उसके सामने कोई लेनदेन नहीं हुआ था। उसके पति मृतक राजेश कुमार ने भी हाजिर अदालत मुल्जिमान को पैसे देने के संबंध में उसे कोई बात नहीं बताई थी। उसके पति मृतक राजेश कुमार ने हाजिर अदालत मुल्जिमान द्वारा दुकान का कब्जा न देने के संबंध में उसके पति मृतक राजेश कुमार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने संबंधी कोई बात उसे नहीं बताई थी। उसके पति मृतक राजेश कुमार ने हाजिर अदालत मुल्जिमान की प्रताड़ना से तंग आकर दिनांक 10.07.2019 को रेलवे लाईन के पास जाकर रेल के सामने कूदकर आत्महत्या नहीं की है।

इस स्तर पर अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण अभियोजन के अनुरोध पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा प्रतिपरीक्षा की गयी। इस साक्षी से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा के क्रम में उसका बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.संहिता पढकर सुनाया गया तो उसने यह बताया है कि ऐसा बयान उसने दरोगा जी को नहीं दिया। दरोगा जी ने उससे कोई पूछताछ नहीं की। दरोगा जी ने उसका बयान कैसे लिख दिया इसकी कोई वजह नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि मृतक राजेश ने मुल्जिमान अजय स्वरूप बंसल और आशुतोष स्वरूप बंसल से सदर बाजार में एक दुकान पगड़ी पर 6,55,000/- रूपये में लेनी तय की थी और दिनांक 11.01.2019 को तीन लाख रूपये और दिनांक 18.02.2019 को 3,55,000/- रूपये मुल्जिमान को दिये हों। यह कहना गलत है कि मृतक राजेश ने मुल्जिमान द्वारा दुकान का कब्जा उसे न देने व उसके रूपये वापिस न करने के कारण और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के कारण ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की हो। यह कहना भी गलत है कि मुल्जिमानों से

फैसला हो जाने के कारण वह अदालत में सही बात न बताकर झूठा बयान दे रही हो।

इसी क्रम में बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर इसी साक्षी ने बताया कि उसका पति उससे कोई बात नहीं छिपाता था। दोनों के संबंध बेहद अच्छे थे। उसके पति के पैसे संबंधी व्यवहार को उसके देवर चमन सिंह देखते थे और बैंक खाते भी चमन ही देखता था। लिखत, पढ़त, दस्तखत और डायरी संबंधी काम उसका देवर चमन सिंह करता था। वह हाजिर अदालत मुल्जिमान को पहले कभी नहीं देखी थी। वह नहीं जानती उनके नाम क्या हैं। उसके पति ने कभी भी उसे दुकान किराये पर लेने के बारे में नहीं बताया था और न ही कोई दुकान उसके पति ने किराये पर ली। उसकी निजी जानकारी में भी कोई पैसा या रूपया किसी भी व्यक्ति को उसके पति द्वारा नहीं दिया गया था।

ऐसी दशा में उक्त साक्षी के बयान से यह जाहिर होता है कि यह साक्षी न्यायालय में उपस्थित आरोपित अभियुक्तगण को जानने से इंकार कर रही है और मुल्जिमानों द्वारा मृतक को मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना बतायी है। यह भी बतायी है कि मृतक ने उसे कभी कोई दुकान किराये पर लेने के बारे में नहीं बताया था और न ही मृतक ने कोई दुकान किराये पर ली थी। उसकी जानकारी में कोई पैसा या रूपया किसी भी व्यक्ति को उसके पति द्वारा नहीं दिया गया। मृतक का मुल्जिमानों से कथित दुकान के संबंध में कोई सौदा नहीं हुआ और न ही कोई रूपये मृतक ने मुल्जिमानों को दिये। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि मृतक ने मुल्जिमानों से प्रताड़ित होकर रेल के सामने कूदकर आत्महत्या नहीं की है तथा कथित हेतुक का तथ्य भी साबित नहीं किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी के समस्त साक्ष्य से अभियोजन को आरोपित

अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोपों के संबंध में कोई समर्थन हासिल नहीं होता है।

इस प्रकार उक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के सम्यक विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह तथ्य साबित कर पाने में असफल रहा है कि वास्तव में मृतक राजेश कुमार को आत्महत्या करने के लिये परीक्षित अभियुक्त के द्वारा उकसाया गया रहा था, बल्कि उक्त परिस्थितियों के विवेचन से यह निष्कर्षित होता है कि मृतक के आत्महत्या करने के अन्य कई कारण भी उपलब्ध रहे हैं, इसके अलावा यह भी स्पष्ट होता है कि अभियोजन की ओर से पेश किये गये तथ्य के तीनों गवाहान के बयानात, अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में सत्य एवं विश्वसनीय होना साबित नहीं होता, बल्कि यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन वास्तविक तथ्य को कहीं न कहीं छिपाया है। अतः उक्त कारणों से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त अजय स्वरूप बंसल पुत्र स्व0 विष्णु स्वरूप बंसल निवासी 196 सिविल लाईन नोर्थ थाना सिविल लाईन जिला मुजफ्फरनगर को मुकदमा अपराध संख्या 375 सन् 2019 धारा 306 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता थाना नई मण्डी जिला मुजफ्फरनगर के आरोपों से सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त अजय स्वरूप बंसल पुत्र स्व0 विष्णु स्वरूप बंसल इस मामले में जमानत पर रिहा है। उसके जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है तथा उनके बन्ध पत्र निरस्त किये जाते हैं।

दिनांक- 02.07.2026

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर
आई.डी. यू.पी.-5746

वादी मुकदमा चमन सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी रामलीला टिल्ला थाना कोतवाली नगर जिला मुजफ्फरनगर पी.डब्लू.–1 के विरूद्ध धारा 383 बीएनएसएस के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है। सेशन कलर्क को निर्देशित किया जाता है कि वह वादी मुकदमा के विरूद्ध नियमानुसार धारा 383 बीएनएसएस के अंतर्गत प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी किया जाये।

अभियुक्त की ओर से धारा 481 बीएनएसएस के अंतर्गत दाखिल बन्ध पत्र छः माह की अवधि के लिये प्रभावी रहेंगे।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)

दिनांक– 02.07.2026 सेशन न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्धघोषित किया गया।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)

दिनांक– 02.07.2026 सेशन न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर